आवेदक पत्रक

न्यायालय : तहसीलदार

मण्डल : इलाहाबाद, जनपद : प्रयागराज, तहसील : करछना

वाद संख्या : 01156/2020

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T2011712343054619

नन्द किशोर फाउण्डेशन बनाम कृष्णचन्द्र तिवारी

अंतर्गत धारा :- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद नन्द किशोर फाउण्डेशन, पता 99बी/8सी,मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव, भान सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह नि० 99बी/8सी,मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि वादी,मौजा धनुहाँ तहसील करछना, प्रयागराज स्थित आराजी संख्या–65म, रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 कुल रकबा 0.4225हे0 का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है, जिसका आवासीय रूप में अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतः आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाए। वादी द्वारा उद्धरण खतौनी सन 1426–1431 फ0, की प्रति व स्थल का फोटोग्राफ, व खसरा वर्ष 1359फ0 की प्रति व अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा की गयी धनराशि मुरलिग 71,000/60 के चालान संख्या 22 दिनांक 09.08.2020 की प्रति व न्याय शुल्क के रूप में मु0 71,000/– रू0 का स्टाम्प दाखिल किया गया है।

हलका लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जाँच रिपोर्ट सहित पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत होकर पत्रावली प्रस्तुत हुई। हलका लेखपाल द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 02.7.2020 में उल्लिखित किया गया है कि राजस्व ग्राम धनुहाँ की आराजी संख्या–65मि, रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0, कुल रकबा 0.4225हे0 बैनामा दिनांक 08.01.2020 नन्द किशोर फाउण्डेशन के पक्ष में दाखिल खारिज न्यायालय वाद संख्या 2011712343054619 दिनांक 02.08.2020 के द्वारा हुआ है। उक्त भूमि में कृषि कमार्य नहीं हो रहा है। बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। विद्यालय का कब्जा दखल है। भूमि एन0जेड0ए० या तालाब की नहीं है। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अस्तु राजस्व ग्राम धनहाँ की आराजी संख्या–65मि, रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 कुल रकबा 0.4225हे0 अकृषिक किये जाने हेत आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट दिनांक 08.06.2020 में हल्का लेखपाल की जाँच आख्या को सत्यापित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि ग्राम धनुहा की आराजी संख्या संख्या–65मि0 रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 कुल रकबा 0.4225हे0 भूमि अकृषिक घोषित किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। नायब तहसीलदार द्वारा हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उक्त जाँच आख्या को अग्रसारित किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। उद्धरण खतौनी सन 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 00054 के गाटा संख्या 65मि, रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 कुल रकबा 0.4225हे0 भूमि पर अवेदक नन्द किशोर फाउण्डेशन, पता 99बी/8सी, मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव, भान सिंह पुत्र स्व० नन्द किशोर सिंह नि0 99/8सी पुरा दलेल अल्लापुर शहर व जिला, प्रयागराज का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना द्वारा अपनी जाँच रिपोर्ट में भूखण्ड के जुज रकबा 0.4225हे. को अकृषिक होना बताया गया है। स्थल के फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है कि आराजी निजाई अकृषिक है। आवेदक द्वारा नियमानुसार अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क एवं न्याय शुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में मौजा धनुहा स्थित उक्त वादग्रस्त आराजी सं. 65मि. रकबा 0.1455हे0 व गाटा संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 कुल रकबा 0.4225हे0 भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश अतः हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जाँच रिपोर्ट के आधार पर मौजा धनुहाँ परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज की खतौनी सन 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 00224 के गाटा संख्या 00054 के गाटा संख्या 65मि, रकबा 0.1455हे0 एवं खाता संख्या 00393 आराजी संख्या 66 रकबा 0.2770हे0 को अकृषिक एवं लगानमुक्त घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक : 12.08.2020

(सत्यप्रिया)
उप जिलाधिकारी,करछना
प्रयागराज